न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र स0 : 118 सन 2017

अनवान :–

1. पुनम पत्री राजेन्द्र उम्र 17 वर्ष 2 आदित्य पुत्र राजेन्द्र उम्र–14 वर्ष नाबालिग बली माता खूद सन्तोष पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3 सन्तोष पत्नी स्व राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. धनपत पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी मोधुवाली ढाणी तहसील नोहर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3 उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अस्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता सायलान

श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 8/5/2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान के पडदादा मृतक अमीचन्द की उनके भाई मंगला के साथ चक 19 जेएसएन के प0न0 332/394 के किला न0 3 ता 5/3.00 बीधा प0न0 333/394 के किला न0 1 ता 8/8.00 ,13 ता 18/6.00 , 25/1.00 बीधा प0न0 332/395 के किला न0 2 ता 5/4.00 बीधा 7 ता 9 /3.00 बीधा 12 ,13/2.00 बीधा 17 ता 19/3.00 , 22 ता 25/3.00 प0न0 333/395 के किला न0 22 ता 25/4.00 बीधा कुल 38.00 बीधा भूमि थी जिसमें सायलान संख्या 1 ,2 के पडदादा का 1/2 हिससा व इसी चक 19 जेएसएन के प0न0 333/394 के किला न0 9 ता 12/4.00 बीधा प0न0 332 के किला न0 6 ,15 ,16 ,25 प्रत्येक 0.17 बिश्वा किला न0 7 ता 14 की 8.00 बीधा , 17 ता 20/4.00 बीधा , 22 ता 24 /3.00 बीधा , प0न0 331/394 के किला न0 6 ,7 ,14 ता 17/6.00 बीधा ,कुल 24.08 बीधा भूमि में 1/2 हिस्सा तथा चक 19 जेएसएन के प0न0 331/394 के किला न0 12 ,13 ,18/3.00 बीधा जो उनकी स्वय की अर्जित भूमि है व जसाना जो अब चक 16 जेएसएन के प0न0 336/394 (8) के किला न0 4/0.18, 5/0.18 ,7/1.00 प0न0 337/399(6) के किला न0 19/0.18 ,20/0.18, 21/0.18, 22/1.00 कुल 9.00 बीधा में 1/2 हिस्सा अमीचन्द की थी चक 5 बी बारानी के प0न0 334/394 के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21/5.00 , में 1/2 हिस्सा व चक 5 बी बारानी में सायलान न0 1 व 2 के पडदादा अमीचन्द की निलामी में ली गयी भूमि प0न0 394/395 के किला न0 9 ,10/2.00 व प0न0 334/395 के किला न0 1 ,10 ,11 की 3.00 बीधा भूमि अमीचन्द की भूमि थी।

उक्त कुल 84.06 बीधा भूमि मृतक अमीचन्द की खरीदशुद्वाा भूमि थी जो पैतृक भूमि है जिसमें सायलान न0 1 ,2 का जन्म से हक हिस्सा है सायलान के पिता व सायलान0 3 के पति का देहान्त हो गया है इसलिये उसके स्थान पर तीना बहिब के हकदार है इसलिये सायलान ने अपने हकों की धोषणा करवाने का वाद पेश किया हुआ है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादग्रस्त भूमि पैतृक है गैरसायल न0 1 परिवार का मुख्या है इसलिये मृतक अमीचन्द के बाद वादग्रस्त भूमि सायलान न0 1 ,2 के पिता एवं सायलान न0 3 के पति का हक हिस्सा था किन्तु गैरसायल न0 1 ने समस्त भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली है जो विधि के प्रावधानों के विपरित है।

गैरसायल न0 1 व उसके दो भाईयों की अमीचन्द की आई चुकि रामप्रताप के खोले चला गया इसलिये वादग्रस्त भूमि में गैरसायल न0 1 का 1/3 हिस्सा है जिसमें सायलान न0 1 व 2 अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 काफी चालक व तेज व्यक्ति है इसलिये सायलान के हकों को नुकसान पहुचाने के लिये वह वाद भूमि को कभी भी रहन बेय या अन्य तरह से मुन्तकिल कर सकता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे की वह वाद भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक बनाये रखे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायलान विवादित भूमि में किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है ना ही प्रार्थना पत्र मेन्टेवल है विवादित भूमि अकेले अमीचन्द की स्वअर्जित भूमि नही है बल्कि गैरसायल न0 1 की स्वअर्जित भूमि है गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में सायलान का कोई हक हिस्सा नही है इसलिये दावा में किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी नही है सायलान का विवादित भूमि पर कब्जा नही कब्जा के अभाव में ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज योग्य है उतरदाता विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थना पत्र केवल उतरदाता को हैरान पेरशान करने के लिये पेश किया गया है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । गैरसयाल न0 1 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की विवादित कुल 84.06 बीधा भूमि मृतक अमीचन्द की खरीदशुद्वाा भूमि थी जो पैतृक भूमि है जिसमें सायलान न0 1 ,2 का जन्म से हक हिस्सा है सायलान के पिता व सायलान0 3 के पति का देहान्त हो गया है इसलिये उसके स्थान पर तीना बहिब के हकदार है इसलिये सायलान ने अपने हकों की धोषणा करवाने का वाद पेश किया हुआ है।

वादग्रस्त भूमि पैतृक है गैरसायल न0 1 परिवार का मुख्या है इसलिये मृतक अमीचन्द के बाद वादग्रस्त भूमि सायलान न0 1 ,2 के पिता एवं सायलान न0 3 के पति का हक हिस्सा था किन्तु गैरसायल न0 1 ने समस्त भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली है जो विधि के प्रावधानों के विपरित है।

गैरसायल न0 1 व उसके दो भाईयों की अमीचन्द की आई चुकि रामप्रताप के खोले चला गया इसलिये वादग्रस्त भूमि में गैरसायल न0 1 का 1/3 हिस्सा है जिसमें सायलान न0 1 व 2 अपना हक हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 काफी चालक व तेज व्यक्ति है इसलिये सायलान के हकों को नुकसान पहुचाने के लिये वह वाद भूमि को कभी भी रहन बेय या अन्य तरह से मुन्तकिल कर सकता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे की वह वाद भूमि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक बनाये रखे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान विवादित भूमि में किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है ना ही प्रार्थना पत्र मेन्टेवल है विवादित भूमि अकेले अमीचन्द की स्वअर्जित भूमि नही है बल्कि गैरसायल न0 1 की स्वअर्जित भूमि है गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में सायलान का कोई हक हिस्सा नही है इसलिये दावा में किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी नही है सायलान का विवादित भूमि पर कब्जा नही कब्जा के अभाव में ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज योग्य है उतरदाता विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थना पत्र केवल उतरदाता को हैरान पेरशान करने के लिये पेश किया गया है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि में से वादी के पडदादा अमीचन्द पुत्र मगंला को आवटित भूमि है केवल कुछ भूमि ही गैरसायल न0 1 को आवंटित भूमि है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है कि वाद भूमि पैतृक भूमि है या नही जिसमें सायलान का हक

हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रश्नगत भूमियों में से अधिकाशं भूमि सायलान के दादा अमीचन्द पुत्र मंगलाराम को आवंटित होना पाया गया है तत्पश्चात कुछ भूमि गैरसायल को भी आवंटित होनी पाई गई है वर्तमान में समस्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है क्योकि सायलान के दादा अमीचन्द पुत्र मंगला का देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है विवादित भूमि का अधिकाशं भाग विरास्तन से गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में पाया जाता है।

विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायलान के दादा अमीचन्द के देहान्त होने पर विरास्तन से गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है अर्थात विवादित भूमि का अमीचन्द रिकार्डेड खातेदार वर्तमान रिकार्ड में दर्ज है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण वह कभी भी वाद भूमि का रहन बैय या अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर सकता है जब तक प्रश्नगत वाद में सायलान के हकों का निर्धारण नही हो जाता उससे पूर्व यदि विवादित भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तातरण होता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को ना की गैरसायलान को अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में है।

जब तक वाद में सायलान के हकों को निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.09.2017 को न्यायालय के द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है अर्थात उभयपक्ष वाद के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)